शहीद कैप्टन रिपुदमन सिंह राजकीय महाविद्यालय सवाई माधोपुर (राज.)

(राष्ट्रीय प्रत्यायन एवं मूल्यांकन परिषद् द्वारा ''बी'' ग्रेड प्रदत्त)

कला, विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय
कोटा विश्वविद्यालय, कोटा से सम्बद्ध एवं कृषि संकाय,
स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर से सम्बद्ध

विवरणिका

शैक्षणिक सत्र 2020–21

प्राचार्य की कलम से

प्रिय विद्यार्थियों,

नवीन शैक्षणिक सत्र 2020–21 में नवागन्तुक छात्र–छात्राओं का महाविद्यालय में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। विद्यार्थी का महाविद्यालय काल जीवन का स्वर्णिम काल होता है, युवा छात्र किसी भी देश और समाज की प्रगति का आधार एवं राष्ट्र का भविष्य होते हैं। सभी विद्यार्थियों से मेरा आग्रह है कि वे महाविद्यालय में नियमित कक्षाओं में अध्ययन कर अपना बौद्धिक, शारीरिक एवं आत्मिक विकास करते हुये राष्ट्र निर्माण में सहयोगी बने। विद्यार्थी का महाविद्यालय में प्रवेश का उद्देश्य मात्र तथ्य संकलन ही न हो अपितु शिक्षा को अपने व्यावहारिक जीवन में उतारना भी है। सच्ची शिक्षा वस्तुतः समता, सद्भाव मैत्री एवं समष्टि भाव की वाहिका होती है। अतः विद्यार्थी उच्च शिक्षा के इस आदर्श की और उन्मुख रहें।

विद्यार्थी जीवन के वर्ष एकाग्रचित्त होकर कठिन परिश्रम और गहन अध्ययन के वर्ष हैं। इन वर्षों में किया गया कठोर परिश्रम और गहन अध्ययन भावी जीवन को सुखी, समृद्ध एवं राष्ट्र और समाज के लिए उपयोगी भी बनाता है। अतः विद्यार्थी को स्वविवेक से ही यह निर्धारित करना है कि उसे कठोर परिश्रम करके आजीवन सुखी रहना है।

अकादमिक उन्नयन हेतु महाविद्यालय पुस्तकालय में अद्यतन पाठ्य सामग्री, डेलनेट की सुविधा उपलब्ध है जिसके माध्यम से अन्तर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय स्तर की पुस्तकों का उपयोग किया जा सकता है। महाविद्यालय में अध्ययन हेतु सॉफ्ट स्किल, हार्ड स्किल का उपयोग, विद्यार्थी परामर्श केन्द्र, इन्टरनेट सुविधा, राष्ट्रीय केडेट कोर यूनिट, रोवर रेन्जर, राष्ट्रीय सेवा योजना, युवा विकास केन्द्र, उपभोक्ता क्लब, विस्तृत खेलकूद के मैदान एवं खेल सामग्री की सुविधाऐं उपलब्ध है। सभी छात्र इन सुविधाओं का उपयोग उज्ज्वल भविष्य के लिये अधिक से अधिक करें।महाविद्यालय में विद्यार्थियों के लिए नवाचार एवं कौशल विकास केन्द्र संचालित है जिसके माध्यम से विद्यार्थी प्रशिक्षण प्राप्त करके रोजगार की ओर उन्मुख हो सकते हैं। प्रतियोगिता दक्षता परियोजना में विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क कोंचिंग कक्षाओं की व्यवस्था है। इनमें अध्ययन करके विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त कर सकते हैं।

गुरूजनों के प्रति सम्मान एवं आस्था रखने वाले छात्र ही ज्ञानार्जन के पात्र होते हैं। अतः छात्रों का यह कर्त्तव्य है कि वे अपने गुरूजनों का पूर्ण सम्मान करते हुए दृढ़ इच्छाशक्ति एवं कठिन परिश्रम से सफलता अर्जित कर समाज एवं देश के लिये प्रासंगिक भूमिका निभाएँ।

उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ।

(डॉ0 ओ.पी. शर्मा)
प्राचार्य

✡ विवरणिका ✡

शैक्षणिक सत्र 2020–21

डॉ0 ओ.पी. शर्मा
प्राचार्य

सम्पादक – मण्डल

डॉ. ओ.पी. शर्मा (सह आचार्य गणित)
डॉ. ओ.पी. शर्मा (सह आचार्य समाजशास्त्र)
डॉ. विनोद कुमार शर्मा (सह आचार्य कृषि)
डॉ. सूर्य प्रकाश नापित (सह आचार्य हिन्दी)
डॉ. अमर नाथ अग्रवाल (सहायक आचार्य एबीएसटी)

(विवरणिका सामग्री से सम्बन्धित सर्वाधिकार प्राचार्य के अधीन हैं।)

शहीद कैप्टन रिपुदमन सिंह राजकीय महाविद्यालय
सवाई माधोपुर (राज.) – 322001
फोन नं. : 07462 – 220307
https://hte.rajasthan.gov.in/college/gcsawaimadhopur
E-mail. : gocolswm@gmail.com

राष्ट्रगीत

वन्दे मातरम्, वन्दे मातरम्
सुजलाम् सुफलाम् मलयज शीतलाम्
शस्य श्यामलाम् मातरम्
वन्दे मातरम्।। **1**।।
शुभ्र ज्योत्सनाम् पुलकित यामिनीम्
फुल्लकुसुमित द्रुमदल शोभिनीम्
सुहासिनीम् सुमधुर भाषिणीम्
सुखदाम् वरदाम् मातरम्
वन्दे मातरम्।। **2**।।
कोटि–कोटि कंठ कलकल–निनाद–कराले,
कोटि–कोटि–भुजैर्धृत–खरकरवाले
अबला केनो माँ ऐतोबले
बहुबल धारिणीम् नमामि तारिणीम्
रिपुदल–वारिणीम् मातरम्
वन्दे मातरम्।। **3**।।
तुमि विद्या तुमि धर्म
तुमि ह्रदि तुमि मर्म
त्वं हि प्राणः शरीरे
बाहुते तुमि माँ शक्ति
ह्रदये तुमि माँ भक्ति
तोमारई प्रतिमा गड़ि मन्दिरे मन्दिरे मातरम्
वन्दे मातरम् ।। **4**।।
त्वं हि दुर्गा दशप्रहरण धारिणी
कमला कमल–दल विहारिणी
वाणी विद्या दायिनी
नमामि त्वां
नमामि कमलाम्,
अमलाम्, अतुलाम्
सुजलाम्, सुफलाम् मातरम्
वन्दे मातरम्।। **5**।।
श्यामलाम्, सरलाम्, सुस्मिताम्, भूषिताम्
धरणीम्, भरणीम्, मातरम्
वन्दे मातरम् ।। **6**।।

अनुक्रमणिका

क्र.सं.	विषय		पृष्ठ संख्या
1.	महाविद्यालय : सिंहावलोकन		6
2.	आचार संहिता		6
3.	आवश्यक सूचनाएँ		7
4.	पाठ्यक्रमावलोकन		9
5.	प्रवेश नियमावली		12
6.	शुल्क सम्बन्धी सूचना		14
7.	पाठ्येत्तर गतिविधियाँ		15
	1	राष्ट्रीय कैडेट कोर (एन.सी.सी.)	15
	2	राष्ट्रीय सेवा योजना (एन.एस.एस.)	15
	3	शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद	16
	4	रोवर स्काउटिंग	16
	5	छात्र – संघ	16
	6	उपभोक्ता क्लब	16
	7	शैक्षणिक परिषदें	16
8.	छात्र कल्याण सुविधाएँ		17
	1	छात्रवृत्तियाँ	17
	2	रेल तथा बस कन्सेशन	20
	3	विद्यार्थी दुर्घटना बीमा	20
	4	पुस्तकालय	21
	5	बुक बैंक	22
	6	विद्यार्थी परामर्श केन्द्र/युवा विकास केन्द्र	22
	7	अध्ययन केन्द्र : वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा	22
	8	छात्रावास	23
	9	शोध एवं अन्य	23 . 24
9.	महाविद्यालय परिवार		25
	1	शिक्षा पथ के पाथेय	25
	2	मंत्रालयिक कर्मचारीगण	27
10.	अवकाश आदेश		28 . 29
11.	महत्त्वपूर्ण निर्देश		30
12.	प्रवेश नीति		**कॉलेज शिक्षा निदेशालय के पोर्टल पर है।**

महाविद्यालय : सिंहावलोकन

राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में स्थित सुदृढ़ दुर्ग एवं बाघ अभयारण्य रणथम्भौर की सुरम्य घाटियों के सन्निकट स्थित सवाई माधोपुर ऐतिहासिकता एवं धार्मिकता का मणिकंचन रूप प्रकट करता है। जहाँ गौरी पुत्र गणेश की त्रिनेत्र प्राकृतिक प्रतिमा एवं रणबांकुरे हठीले हम्मीर की भूमि के दर्शन होते हैं। शहर के मुख्य द्वार पर तांत्रिक साधना का जगत प्रसिद्ध काला गौरा भैरव मन्दिर स्थापत्य की एक अनूठी मिसाल है। इस धरती पर कहीं कलकल निनादित झरने, कहीं हरियाली से आच्छादित घाटियों में मृगशावक, कहीं बाघ शावक, कहीं शशांक तो कहीं बारहसिंगा एवं स्वच्छन्द आह्लादकारी अठखेलियाँ करते हुए कुलाँचे भरते हुए अन्य वन्य जीव जन्तु मनोहारी एवं नयनाभिराम दृश्य प्रकट करते हैं। इन्हें निहारने विश्व के अनेक देशों से पर्यटक दल आते हैं। इस अद्भुत छवि के लिए यह स्थान समस्त भारतवर्ष में रणथम्भौर नेशनल पार्क के नाम से प्रसिद्ध है।

इस नगर में महाविद्यालय की स्थापना 1971 में हुई। वर्तमान में महाविद्यालय में उत्तरी प्रखण्ड में वाणिज्य एवं कृषि संकाय एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं के अध्ययन की व्यवस्था है। दक्षिणी परिसर में विज्ञान संकाय एवं कला संकाय के अध्ययन की व्यवस्था है। खेलकूद के लिए पर्याप्त मैदान की सुविधा है। विद्यार्थियों के ज्ञानार्जन के लिए पुस्तकालय एवं वाचनालय की व्यवस्था महाविद्यालय के दोनों परिसरों में उपलब्ध है। उत्तरी परिसर में विशाल वट विटप तले भगवान वटमूलेश्वर आशुतोष सदैव विद्या वरदान देते हुए शिक्षार्थियों को नवीन प्रेरणा प्रदान करते हैं।

आचार संहिता

शिक्षार्थी के जीवन में अनुशीलन हेतु अनुशासित होना अनिवार्य है। इसी से उसके जीवन एवं संस्था के गौरव में अभिवृद्धि होती है। इस महाविद्यालय की अक्षुण्ण कीर्ति को अनेक कर्तव्य परायण प्राचार्यों एवं गरिमायुक्त गुरूजनों ने अथक परिश्रम से बनाये रखा है। जिसके परिणाम स्वरूप अनेक विशिष्ट व्यक्तियों का उन्नयन हुआ। आपसे यही आशा की जाती है कि आप व्यक्तिगत एवं सामूहिक स्तर पर ऐसा कार्य न करें जिससे संस्था की उज्जवल कीर्ति कलंकित हो।
अतः प्रत्येक विद्यार्थी अधोलिखित बिन्दुओं को आचरण में निष्ठापूर्वक अपनायेगा –

1 . परस्पर सौजन्य एवं सम्मान के साथ आचरण करें।

2. कक्षा में शान्ति एवं अनुशासन बनाये रखें।

3. कुर्सी–मेजों के रखरखाव का विशेष ध्यान रखें। फर्नीचर को कमरों से बाहर न निकालें। याद रखें कोई भी टूट फूट आपकी अपनी सम्पत्ति की टूट फूट है।

4 व्याख्यानकाल के दौरान कक्षा–कक्ष से किसी छात्र को बाहर बुलाना या स्वयं बिना आज्ञा के कक्षा–कक्ष में प्रवेश करना अथवा बाहर जाना आचार संहिता का उल्लंघन है।

5. रिक्त कालांश में इकट्ठे होकर शोर न करें। खाली समय का सदुपयोग पुस्तकालय में पत्र पत्रिकाऐं पढकर करें।

6. महाविद्यालय में संगोष्ठियों में उत्साह सहित भाग लें व अच्छे श्रोता की भूमिका निभाएँ।

7. प्राचार्य कक्ष अथवा कार्यालय में बिना अनुमति के प्रवेश निषेध है। कार्यालय में शुल्क आदि जमा कराते समय शांतिपूर्वक पंक्तिबद्ध खड़े रहें।

8 पुस्तकालय से पुस्तकें चुराना, उन्हें अस्त व्यस्त करना, पन्ने फाड़ना अथवा स्वार्थ के लिए उन्हें गलत स्थान पर रखना आदि निन्दनीय व अशोभनीय है।

9 महाविद्यालय की दीवारों को विज्ञापन एवं नारे लिखकर गन्दी न करें।

10 महाविद्यालय में मादक द्रव्यों तथा तम्बाकू युक्त पदार्थों का सेवन व रैगिंग दण्डनीय अपराध है।

11 शिक्षकों एवं महाविद्यालय कर्मचारियों के साथ शिष्टतापूर्वक व्यववहार करें।

12 अपनी निर्धारित कक्षाओं में समय पर एवं नियमित रूप से उपस्थित हों।.

आवश्यक सूचनाएँ

1- **कोविड–19 वैश्विक महामारी के कारण विद्यार्थी अपने बचाव के लिए मास्क लगावे एवं सोशल डिस्टेंसिंग की पालना आवश्यक रूप से करें।**

2- **राज्य सरकार/आयुक्तालय/विश्वविद्यालय द्वारा नवीन आदेश से नियमों में अन्य कोई परिवर्तन किया जाता है तो वही मान्य होगा।**

3- प्रवेश लेने के तुरन्त बाद परिचय–पत्र अकादमिक शाखा से प्राप्त कर लें एवं महाविद्यालय में परिचय पत्र सदैव साथ लायें।

4- **महाविद्यालय में जमा कराये जाने वाले मूल प्रमाण पत्रों की प्रतिलिपि बनवा कर पहले ही अपने पास रखें, बाद में प्रवेश आवेदन पत्र से कोई प्रतिलिपि देय नहीं होगी।**

5- महाविद्यालय में प्रवेश लेने पर जमा कराये गये शुल्क की रसीद अपने पास सुरक्षित रखें। इसकी आवश्यकता अनेक स्थानों पर पड़ती है जैसे परिचय–पत्र, पुस्तकालय कार्ड बनवाना एवं कक्षा में उपस्थिति पंजिका में नाम सम्मिलित करवाना आदि।

6- महाविद्यालय परिसर में रैगिंग पूर्णतया प्रतिबन्धित एवं दण्डनीय अपराध है।

7- परिचय पत्र पूर्णतया अहस्तान्तरणीय है। किसी विद्यार्थी का परिचय पत्र खो जाये तो डुप्लीकेट प्रति बनवाने की व्यवस्था है। इसके लिए 50 रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र देना होगा एवं प्रथम श्रेणी न्यायाधीश अथवा नोटेरी पब्लिक से प्रमाणित करवाना होगा।

8- प्रत्येक विद्यार्थी को सत्रांत में पुस्तकें, खेलकूद व अन्य सामान लौटा कर सम्बन्धित विभागों से अदेय प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य होगा।

9- किसी विद्यार्थी द्वारा महाविद्यालय में अनुशासन भंग करने की स्थिति में उसके विरूद्ध विश्वविद्यालय ऑर्डिनेन्स 88 के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

10- **विशेष चेतावनियाँ :–**

(क) राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 1992 के अनुसार विश्वविद्यालय परीक्षा में अनुचित साधन अपनाने, इस काम के लिए उकसाने, परीक्षा ड्यूटी से सम्बन्धित किसी भी व्यक्ति को डराने, धमकाने, आक्रमण करने, रोकने, ऐसा प्रयत्न करने या इसमें किसी भी प्रकार का सहयोग देने वाले व्यक्ति को अधिनियम की धारा 6 व 7 के अन्तर्गत 3 वर्ष तक की जेल या 2000 रूपया जुर्माना अथवा दोनों सजा एक साथ दिये जाने का प्रावधान है।

(ख) नकल के अपराधी को परीक्षा केन्द्र से ही पुलिस के सुपुर्द कर दिया जायेगा जो स्वयं उसके और उसके परिवार के लिए अशोभनीय होगा। अतः इस अनैतिक कार्य से बचें।

11- **विशेष सूचना – उपस्थिति सम्बन्धी अनिवार्यता :–**

(ए) प्रत्येक विद्यार्थी के लिए प्रत्येक विषय में विश्वविद्यालय नियमानुसार 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है। सैद्धान्तिक और प्रायोगिक कक्षाओं को पृथक पृथक विषय माना जायेगा।

(बी) यह स्वयं विद्यार्थी का दायित्व होगा कि वह प्रत्येक माह के अन्त में अपनी उपस्थिति की जानकारी सम्बन्धित प्राध्यापक से प्राप्त करता रहे।

(बीबी) टूर्नामेन्ट्स अथवा किसी प्रतियोगिता में अधिकृत रूप से भाग लेने वाले विद्यार्थी को उपस्थिति में केवल उतने ही दिनों की छूट मिलेगी जितने दिन वह प्रतियोगिता में रहा।

(सी) प्रत्येक सत्र के अन्त में न्यूनतम से कम उपस्थिति वाले विद्यार्थियों की सूची सूचना–पट्ट पर लगा दी जायेगी। इसकी जानकारी विद्यार्थी को अपने स्तर पर ही प्राप्त करनी होगी।

(डी) कम उपस्थिति वाले विद्यार्थियों को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जायेगी और ऐसे विद्यार्थियों के विरूद्ध विश्वविद्यालय नियमों के अनुसार कार्यवाही की जावेगी।

पाठ्यक्रमावलोकन

स्नातकोत्तर स्तर

महाविद्यालय में निम्नलिखित विषयों में स्नातकोत्तर कक्षाओं के अध्ययन की व्यवस्था है।

1 – कला संकाय 1 – इतिहास (2 ग्रुप संचालित है गुप 'ए' प्राचीन भारत, ग्रुप 'सी' आधुनिक भारत)
2 – राजनीति विज्ञान 3 – उर्दू

2 – वाणिज्य संकाय 1 – लेखा एवं व्यावसायिक सांख्यिकी (एबीएसटी)
2 – आर्थिक प्रशासन एवं वित्तीय प्रबन्ध (ईएएफएम)

विशेष –

1 – स्नातकोत्तर कक्षाओं के नियमित छात्र विकल्प वाले पाठ्यक्रम में से केवल वही विकल्प चुनें जो महाविद्यालय में पढाए जायेंगे। इसकी जानकारी सम्बन्धित विभाग से प्राप्त की जा सकती है।

2 – स्नातकोत्तर कक्षाओं मे एक सैक्शन में अधिकतम 60 विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जा सकेगा।

स्नातक स्तर

कला संकाय (बी.ए. प्रथम भाग)

(क) अनिवार्य विषय

1 – सामान्य हिन्दी 2 – सामान्य अंग्रेजी 3 – कम्प्यूटर शिक्षा 4 – पर्यावरण अध्ययन

(ख) ऐच्छिक विषय –

1 – राजनीति विज्ञान 2 – इतिहास 3 – अंग्रेजी साहित्य 4 – संस्कृत
5 – हिन्दी/उर्दू 6 – समाजशास्त्र 7 – अर्थशास्त्र 8 – भूगोल

कृपया निम्नानुसार विषय समूह का प्राथमिकता क्रम में चयन करें। **प्रस्तावित सत्र 2020–21**

क्र.	समूह में उपलब्ध विषय						उपलब्ध स्थान
1.	1	राजनीति विज्ञान	2	इतिहास	3	हिन्दी	320
2.	1	राजनीति विज्ञान	2	भूगोल	3	हिन्दी	80
3.	1	इतिहास	2	भूगोल	3	हिन्दी	80
4.	1	राजनीति विज्ञान	2	समाजशास्त्र	3	हिन्दी	80
5.	1	राजनीति विज्ञान	2	इतिहास	3	उर्दू	40
6.	1	भूगोल	2	इतिहास	3	उर्दू	40
7.	1	राजनीति विज्ञान	2	भूगोल	3	संस्कृत	40
8.	1	राजनीति विज्ञान	2	संस्कृत	3	इतिहास	40
9.	1	हिन्दी	2	संस्कृत	3	इतिहास	40
10.	1	इतिहास	2	समाजशास्त्र	3	संस्कृत	40
11.	1	राजनीति विज्ञान	2	अर्थशास्त्र	3	हिन्दी	40
12.	1	अर्थशास्त्र	2	भूगोल	3	समाजशास्त्र	40
13.	1	भूगोल	2	राजनीति विज्ञान	3	अंग्रेजी साहित्य	40
14.	1	हिन्दी	2	इतिहास	3	अंग्रेजी साहित्य	40
15.	1	हिन्दी	2	भूगोल	3	समाजशास्त्र	80
16.	1	राजनीति विज्ञान	2	इतिहास	3	समाजशास्त्र	120
17.	1	हिन्दी	2	इतिहास	3	समाजशास्त्र	40

बी.ए. द्वितीय एवं तृतीय भाग — वे तीनों ऐच्छिक विषय जो विद्यार्थी द्वारा बी.ए. प्रथम वर्ष में लिए गए थे।

वाणिज्य संकाय (बी.कॉम प्रथम भाग)

(क) अनिवार्य विषय

1 — सामान्य हिन्दी 2 — सामान्य अंग्रेजी 3 — कम्प्यूटर शिक्षा 4 — पर्यावरण अध्ययन

(ख) ऐच्छिक विषय

1 — लेखा एवं व्यावसायिक सांख्यिकी (एबीएसटी)
2 — आर्थिक प्रशासन एवं वित्तीय प्रबन्ध (ईएएफएम)
3 — व्यावसायिक प्रशासन

बी.कॉम, द्वितीय एवं तृतीय भाग — वे तीनों ऐच्छिक विषय जो विद्यार्थी द्वारा बी.कॉम प्रथम वर्ष में लिए गए थे।

विज्ञान संकाय (बी.एससी प्रथम भाग)

(क) अनिवार्य विषय

1 — सामान्य हिन्दी 2 — सामान्य अंग्रेजी 3 — कम्प्यूटर शिक्षा 4 — पर्यावरण अध्ययन

(ख) ऐच्छिक वर्ग	**गणित वर्ग**	**जीव विज्ञान वर्ग**
	1 — भौतिक शास्त्र	1 — रसायन शास्त्र
	2 — रसायन शास्त्र	2 — वनस्पति शास्त्र
	3 — गणित	3 — प्राणि शास्त्र

बी.एससी द्वितीय एवं तृतीय भाग

वे तीनों ऐच्छिक विषय जो विद्यार्थी द्वारा बी.एससी पार्ट प्रथम में लिए गए थे।

कृषि संकाय

बी.एससी. कृषि संकाय (ऑनर्स) स्नातक स्तरीय 4 वर्षीय पाठ्यक्रम है जिसमें सेमेस्टर पद्धति द्वारा परीक्षा आयोजित होती है।

’ **त्मेजतपबजपवद वि्निइरमबज ब्वउइपदंजपवदे` चमत जीम व्तकपदंदबम ंदक त्नसमे न्दपअमतेपजल वि्ज्ञवजंए ज्ञवजं**

विषयवार स्वीकृत वर्गों की संख्या

कक्षा	विषय	सैक्शन संख्या	अधिकतम विद्यार्थियों की संख्या
बी.ए.पार्ट प्रथम	हिन्दी साहित्य	10	800
	अंग्रेजी साहित्य	01	80
	संस्कृत	02	160
	उर्दू	01	80
	इतिहास	10	800
	राजनीति विज्ञान	10	800
	समाजशास्त्र	05	400
	अर्थशास्त्र	01	80
	भूगोल	05	400
बी.कॉम पार्ट प्रथम	वाणिज्य वर्ग	03	240
बी.एससी.पार्ट प्रथम	(अ) गणित वर्ग	03	210
	(ब) जीव विज्ञान वर्ग	02	140
बी.एससी कृषि (ऑनर्स) प्रथम वर्ष	कृषि वर्ग	01	60
एम.ए. पूर्वार्द्ध	(अ) इतिहास	01	60
	(ब) राजनीति विज्ञान	01	60
	(स) उर्दू	01	60
एम.कॉम पूर्वार्द्ध	(अ) ए.बी.एस.टी	01	60
	(ब) ई.ए.एफ.एम	01	60

स्नातक प्रथम वर्ष में उपलब्ध सीटों का ब्यौरा								
कक्षा	वर्ग / सैक्शन	कुल	उपलब्ध संख्या					
			सामान्य	अनु.जनजाति	अनु.जाति	ओबीसी	एमबीसी	[illegible]
बी.ए.पार्ट ८	15	**1200**	432	144	192	252	60	120
बी.एससी पार्ट ८								
गणित	3	**210**	76	25	34	44	10	21
बॉयोलोजी	2	**140**	50	17	23	29	07	14
बी.कॉम पार्ट ८	3	**240**	87	29	38	50	12	24

नोटः— 1. प्रत्येक संकाय की स्नातक एवं स्नातकोत्तर में प्रवेश हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग चिकनी परत को छोड़कर, अत्यधिक पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को क्रम से 16ःए 12ःए 21ःए 5ः एवं 10ः स्थान आरक्षित रहेंगे।

2. प्रत्येक संकाय में प्रवेश हेतु उपलब्ध स्थानों में दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 5ः प्रतिरक्षा सेवाओं के लिए 3ः एवं कश्मीरी पिस्थपितों के लिए 1ः स्थान क्षतिजवर्ती आरक्षण नियमो के नियमानुसार आरक्षित रहेंगे।

प्रवेश नियमावली

1. महाविद्यालय में प्रत्येक संकाय में जितने छात्रों की संख्या निश्चित है उतने ही स्थानों पर राज्य सरकार के नियमानुसार प्रवेश देय होगा।

2. आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि के पश्चात आपका आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा। पूर्व आवेदन करने वाले छात्र / छात्राओं को प्रवेश देने के बाद रिक्त स्थान होने पर ही आवेदन पत्र स्वीकार किये जा सकेंगे।

3. अपूर्ण अथवा निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।

4. राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि के पश्चात कोई भी प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

5. जिन छात्र / छात्राओं को पूरक परीक्षा में सम्मिलित होना है उनको सत्र के प्रारम्भ में ही प्रवेश की निर्धारित तिथि तक अगली कक्षा में अस्थाई प्रवेश ले लेना चाहिए। उनकी उपस्थिति की गणना महाविद्यालय में अध्ययन प्रारम्भ होने की तिथि से की जायेगी। प्रवेश न लेने की स्थिति में परिणाम घोषित होने के बाद उनका नियमित प्रवेश नहीं हो सकेगा।

6. सत्र 2014 — 15 से आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर द्वारा एकीकृत प्रवेश प्रक्रिया लागू कर दी गई है। इस एकीकृत प्रवेश प्रक्रिया में स्नातक प्रथम वर्ष / द्वितीय वर्ष तथा स्नातकोत्तर (पूर्वार्द्ध) के सभी नियमित विद्यार्थी जो विश्वविद्यालय परीक्षा 2020 में प्रविष्ट हुए / या परीक्षा शेष हैं उन्हें अगली कक्षा ऑनलाईन नवीनीकरण किया जावेगा। ऐसे विद्यार्थियों को निर्धारित शुल्क 30 जून 2020 तक जमा कराना होगा अन्यथा उनका प्रवेश निरस्त माना जायेगा।

7. प्रवेश प्रार्थना पत्र के साथ निम्नलिखित प्रलेख होना आवश्यक है।

   (क) अर्हकारी परीक्षा की अंकतालिका तथा स्थानान्तरण प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रतियाँ (प्रवेश होने पर मूल प्रति जमा करानी होगी।)

   (ख) चरित्र प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि (प्रवेश होने पर मूल प्रति जमा करानी होगी)

(ग) विश्वविद्यालय परिवर्तन का मूल प्रमाण पत्र (माईग्रेशन सर्टिफिकेट) जो छात्र/छात्राएँ सम्बन्धित विश्वविद्यालय क्षेत्र के बाहर से आ रहे हैं। (यदि हो) अन्यथा यह प्रवेश के 30 दिनों के भीतर जमा कराना होगा।

(घ) यदि छात्र/छात्रा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अ.पि.व./एम.बी.सी. का/से है तो उसकी पुष्टि में जिला कलेक्टर/प्रथम श्रेणी दण्डनायक का प्रमाण पत्र संलग्न करें।

(ड़) जिनके अभिभावक राजस्थान सरकार के ऐसे कर्मचारी हैं जो आयकर दाता नहीं हैं तो उसके द्वारा तत्संबधी प्रमाण पत्र देने पर उससे शिक्षण शुल्क नहीं लिया जायेगा।

(च) आय प्रमाण पत्र।

(छ) खेल आदि में विशेष योग्यता का प्रमाण पत्र जिनके आधार पर बोनस अंक प्रतिशत चाहा गया है।

8. जिन छात्र/छात्राओं को प्रवेश दिया जायेगा, उनके नाम कॉलेज के सूचना पट्ट पर पूर्व निर्धारित तिथि तक अंकित कर दिए जायेंगे। उसके उपरान्त छात्र/छात्राओं को निश्चित तिथि तक शुल्क जमा कराना होगा। निर्धारित तिथि तक प्रवेश शुल्क जमा न होने पर प्रवेश स्वतः ही निरस्त हो जायेगा।

9. प्रवेश हो जाने पर कार्यालय में अपना परिचय पत्र, फीस की रसीद प्रस्तुत कर प्राप्त कर लें इसे महाविद्यालय में सदैव अपने साथ रखना होगा।

10. आवेदन पत्र पर छात्र/छात्रा के पिता/संरक्षक के सही हस्ताक्षर होने चाहिए तथा उनका सत्यापन होना चाहिऐ। प्रत्येक असत्य विवरण का उत्तरदायित्व प्रार्थी का होगा।

11. महाविद्यालय में प्रवेश मिल जाने के बाद यदि किसी विद्यार्थी का आचरण आपत्तिजनक पाया गया, उसने महाविद्यालय का अनुशासन भंग किया या प्रवेश आवेदन पत्र में कोई असत्य सूचना पाई गई, महाविद्यालय नियमों का उल्लंघन किया या अपने पिता/संरक्षक के स्थान पर अन्य किसी व्यक्ति के हस्ताक्षर कराये अथवा स्वयं के हस्ताक्षर किये तो उसका यह कार्य अत्यन्त अवांछनीय होने के कारण दण्डनीय अपराध समझा जायेगा और उसका प्रवेश निरस्त करने का अधिकार प्राचार्य को होगा।

12. सेवारत प्रार्थी अपने नियोक्ताधिकारी का अनुमति पत्र संलग्न करें, अन्यथा प्रवेश अवैध समझा जायेगा जिसके लिए प्रार्थी स्वयं उत्तरदायी होगा।

13. महाविद्यालय छोड़ने के पश्चात 3 वर्ष की अवधि के भीतर कॉशन मनी वापस नहीं लिये जाने की स्थिति में यह राशि राजकीय कोष में जमा करा दी जायेगी।

14. प्राचार्य को यह अधिकार होगा कि उचित कारण होने पर किसी भी आवेदन पत्र को अस्वीकार करें/प्रवेश निरस्त कर दें।

15. प्रत्येक विद्यार्थी को नियमित रूप से महाविद्यालय सूचना पट्ट देखना चाहिए। सूचना के अभाव में हानि के लिए महाविद्यालय उत्तरदायी नहीं होगा।

16. एन.सी.सी/एन.एस.एस./स्काउट/उपभोक्ता क्लब के प्रवेश हेतु सम्बन्धित अधिकारी से सम्पर्क करें तथा सूचना पट्ट देखें।

17. किसी छात्र के विरूद्ध पुलिस एफ.आई.आर दर्ज होने या न्यायालय द्वारा अपराध सिद्ध होने या महाविद्यालय कर्मचारी के साथ दुर्व्यवहार का दोषी होने की स्थिति में प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा।

शुल्क सम्बन्धी सूचना

कृषि संकाय – कृषि संकाय की फीस स्वामी केशवानन्द कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर के नियमानुसार देय होगी।

कला, वाणिज्य एवं विज्ञान संकाय

1. शुल्क की दरों में परिवर्तन होने पर सूचना महाविद्यालय सूचना–पट्ट पर लगा दी जायेगी।
2. एक बार शुल्क जमा करा देने पर वापिस नहीं दिया जायेगा।
3. सभी प्रवेशित विद्यार्थी स्थायी प्रवेश होने के उपरान्त परिचय–पत्र महाविद्यालय से प्राप्त कर लें।
4. परिचय–पत्र खो जाने के बाद दूसरा परिचय पत्र नहीं दिया जायेगा। पुनः परिचय पत्र प्राप्त करने के लिए 30 रूपये जमा करवाने होंगे।
5. कॉशन मनी केवल प्रथम बार प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों से ही ली जाती है जिसे कॉलेज छोड़ने के 3 वर्ष तक वापिस न लेने पर राज्यकोष में जमा करा दी जायेगी।
6. महाविद्यालय शुल्क प्राप्ति रसीद को सुरक्षित रखें तथा आवश्यकता पड़ने पर उसे दिखायें।
7. महाविद्यालय में विद्यार्थी का नियमानुसार प्रवेश उस तिथि से माना जावेगा जिस तिथि को वह सम्पूर्ण शुल्क राशि जमा करवाकर रसीद प्राप्त कर लेगा।
8. शुल्क जमा कराने का समय दिन में 11 से 2 बजे तक होगा।
9. सभी प्रकार के शुल्क (वार्षिक शिक्षण शुल्क तथा प्रयोगशाला शुल्क) आदि प्रवेश के समय 12 महिनों के लिए एक साथ ही देय होंगे।
10. टेबिल टेनिस व बेडमिन्टन जैसे खेलों के लिए अतिरिक्त निर्धारित शुल्क देय होगा।
11. शुल्क निश्चित रूप से अग्रिम देय है और किसी भी दशा में वापसी योग्य नहीं है।
12. छात्राएँ शिक्षण शुल्क से मुक्त हैं।
13. अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़ी जाति के छात्र शिक्षण शुल्क से मुक्त हैं यदि उनके अभिभावक आयकर दाता नहीं हैं।
14. शुल्क हेतु माता पिता दोनो की वार्षिक आय का ध्यान रखा जायेगा। यह सीमा कर योग्य आय पर लागू होगी।
15. आयकर नहीं देने वाले पंचायत समिति, जिला परिषद कर्मचारी पर आश्रित छात्र शिक्षण शुल्क से मुक्त हैं। आश्रित से तात्पर्य पत्नी, पुत्र, दत्तक संतान अविवाहित से है।
16. सेवानिवृत्त राज्य कर्मचारियों के आश्रितों को शिक्षण शुल्क मुक्ति का लाभ देय नहीं है।
17. पिता के जीवित होने पर विद्यार्थी अपने भाई पर आश्रित नहीं माना जायेगा।

पाठ्येत्तर गतिविधियाँ

1 राष्ट्रीय कैडेट कोर (एन.सी.सी.)

1. छात्रों में अनुशासन, साहसिक तथा राष्ट्रीय भावनाओं के विकास के लिए एन.सी.सी. की उपयोगिता है। महाविद्यालय में कुल 160 कैडेट्स की एक बटालियन स्वीकृत है। प्रवेश हेतु छात्र निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन पत्र एन.सी.सी. अधिकारी को निर्धारित समय पर प्रस्तुत करें।

2. एन.सी.सी. में बी प्रमाण पत्र एक वर्ष के प्रशिक्षण के पश्चात एवं सी प्रमाण पत्र दो वर्ष में प्रदान किया जाता है।

3. एन.सी.सी. सी प्रमाण पत्र में बी ग्रेडिंग उत्तीर्ण स्नातक 50 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त होने पर भारतीय सेना में एस.एस.बी. के द्वारा लेफ्टिनेंट पद पर कमीशन के लिए आवेदन कर सकते हैं।

4. प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण कैडेट्स को कैडेट वेलफेयर फण्ड एवं सहारा की ओर से वार्षिक छात्रवृत्ति उपलब्ध करवायी जाती है।

2 – राष्ट्रीय सेवा योजना (एन.एस.एस.)

विद्यार्थियों में राष्ट्रीय भावना एवं देश सेवा की भावना का विकास करने, श्रम के प्रति निष्ठा जाग्रत करने, समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति में सहयोग भावना विकसित करने हेतु राष्ट्रीय सेवा योजना की चार इकाइयाँ महाविद्यालय में कार्यरत हैं। राष्ट्रीय सेवा योजना इकाइयाँ समय समय पर शिविर आयोजित करती हैं। इन शिविरों में सेवा इकाई के सदस्य ग्रामीण सेवा व अन्य विकास कार्य योजनाबद्ध तरीके से करते हैं। इस प्रकार एन.एस.एस. विद्यार्थियों में मानवीय गुणों का विकास करता है।

कार्यक्रम

1. कॉलेज प्राँगण में खेलकूद मैदान की सफाई।
2. गोद लिए गये गावों में अशिक्षा, बेरोजगारी, सामाजिक बुराइयों के उन्मूलन, महिला शिक्षा, स्वास्थ्य एवं साफ सफाई के बारे में जानकारी देना तथा श्रम को आचरण में लाकर जागृति पैदा करना।
3. प्रौढ़ शिक्षा व रेड क्रॉस कार्यक्रमों में सहयोग देना।
4. सामाजिक निर्माण कार्यों में सहयोग देना।
5. सांस्कृतिक एवं अन्य रचनात्मक कार्यक्रमों में सहयोग देना। प्रवेश के इच्छुक विद्यार्थी एन.एस.एस. अधिकारी से सम्पर्क करें।

3 – शारीरिक शिक्षा व खेलकूद

खेलकूद स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। खेल मैदान खिलाड़ियों के लिए वह प्रयोगशाला है जहां वह निरन्तर अभ्यास कर सहयोग, त्याग, एकता, आत्मविश्वास, अनुशासन और भाईचारा आदि गुणों को अपना अंग बना लेते हैं। अपने दायित्व के प्रति हमेशा सजग रहना उनकी विशेषता होती है। इन्हीं महत्वपूर्ण भूमिकाओं को निभाने के लिए महाविद्यालय में निम्नलिखित खेलों की व्यवस्था है – बॉलीबॉल, फुटबाल, हॉकी, क्रिकेट, टेबिल टेनिस, बैडमिन्टन, कबड्डी, शतरंज, खो खो एवं एथेलेटिक्स आदि। अन्तर्महाविद्यालय प्रतियोगिताओं में स्थान प्राप्त करने वाले व अन्तर्विश्वविद्यालय राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को महाविद्यालय की तरफ से पुरस्कृत किया जाता है।

4 – उपभोक्ता क्लब

राज्य सरकार एवं आयुक्तालय के आदेशानुसार इस महाविद्यालय में वर्ष 2018–19 में उपभोक्ता क्लब का गठन किया गया था, जो निरन्तर कार्यशील है। महाविद्यालय में अध्ययनरत किसी भी संकाय के छात्र/छात्राएं निर्धारित आवेदन पत्र भरकर इसके सदस्य बन सकते है। उपभोक्ता क्लब के माध्यम से उपभोक्त संरक्षण अधिनियम के तहत् उपभोक्ताओं को प्राप्त अधिकारों के प्रचार–प्रसार एवं इस बाबत जागरूकता बढ़ाने सम्बन्धित गतिविधियों का संचालन किया जाता है। इसके लिए निबंध प्रतियोगिता, पोस्टर प्रतियोगिता, स्लोगन प्रतियोगिता, सेमीनार एवं राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसम्बर को उपभोक्ता क्लब के सदस्यों द्वारा जागरूकता रैली का आयोजन किया जाता है। उपभोक्ता क्लब के सदस्यों की मासिक बैठक एवं उसमें विषय विशेषज्ञों की व्याख्यान मालाओं का आयोजन भी किया जाता है। प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले छात्र/छात्राओं को पुरूष्कार एवं प्रमाण–पत्र दिये जाते है। महाविद्यालय में उपभोक्ता क्लब के प्रभारी **डॉ. अमर नाथ अग्रवाल** (सहायक आचार्य एबीएसटी) है।

आवश्यक नियम

1. छात्रों को महाविद्यालय परिसर में उपलब्ध मैदान पर अभ्यास करना अनिवार्य है। विभिन्न खेलों की टीम का चयन इन्हीं में से किया जाता है।
2. टीम का चयन प्राचार्य द्वारा गठित समिति/खेल प्रभारी द्वारा किया जाता है।
3. महाविद्यालय प्रतियोगिता के लिए टीम को निर्धारित स्तर तक के प्रदर्शन के आधार पर बाहर भेजा जाता है।
4. बाहर भेजे जाने वाली टीम की संख्या और उनका भेजा जाना खेलकूद के बजट पर निर्भर रहेगा।

4 – रोवर स्काउटिंग

छात्रों में साहस, सेवा, भाईचारा, कर्त्तव्यनिष्ठता आदि की भावनाओं का विकास करने हेतु महाविद्यालय में रोवर रेन्जर स्काउटिंग की एक – एक इकाई स्थापित है।

छात्रसंघ

महाविद्यालय में छात्रसंघ का एक स्वीकृत संविधान है। राज्य सरकार अथवा आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर के निर्देशानुसार यथा समय पर (प्रति सत्र की अवधि हेतु) छात्रसंघ का गठन किया जाता है।

शैक्षणिक परिषदें

महाविद्यालय के सभी प्रमुख संकायों की अपनी – अपनी परिषदें हैं, जो विद्यार्थियों के लिए विचार – गोष्ठियों, वाद – विवाद प्रतियोगिताओं एवं परिसंवादों का आयोजन करती हैं। अनेक अवसरों पर विभिन्न विषयों में पारंगत विद्वानों को भाषण देने के लिए आमंत्रित किया जाता है। विद्यार्थियों में अभिव्यक्ति क्षमता को विकसित करने के लिए वाद–विवाद प्रतियोगिताऐं आयोजित की जाती हैं।

विशेष – महाविद्यालय में शैक्षणिक गतिविधियों के अलावा पाठ्येत्तर गतिविधियों – क्रीडा, एन.एस.एस., रोवर स्काउटिंग में से किसी एक में प्रत्येक विद्यार्थी को भाग लेना अनिवार्य है।

छात्र कल्याण सुविधाएँ

1 – छात्रृत्तियाँ

1. समाज कल्याण विभाग द्वारा देय छात्रवृत्तियाँ

(अ) मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति – समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओ.बी.सी. बी0पी0एल0 एवं देवनारायण योजनान्तर्गत छात्रों को उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति दी जाती है। नवीन सत्र प्रारम्भ होने की स्थिति में एक माह में एवं पूरक परीक्षा के छात्र/छात्राओं के आवेदन पत्र परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि से दो सप्ताह (15 दिवस के अन्दर) में सम्बन्धित अधिकारी को प्रस्तुत कर दिए जाने चाहिए।

1 – पात्रता

(क) केवल वही छात्र जो राजस्थान के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओ.बी.सी. बी0पी0एल0 एवं अ.पि.वर्ग से सम्बन्धित हैं।

(ख) शिक्षा का एक चरण उत्तीर्ण करने के पश्चात शिक्षा के उसी चरण में किसी दूसरे विषय/संकाय में अध्ययन करने वाले जैसे – बी.ए. के बाद बी.कॉम करने लगे या एम.ए. करने के बाद किसी अन्य विषय में एम.ए. करने लगे इसके पात्र नहीं होंगे।

(ग) नियोजित छात्र जिन्होंने पाठ्यक्रम की सम्पूर्ण अवधि की अवैतनिक छुट्टी ली हो तथा जो पूर्णकालिक छात्र के रूप में अध्ययन कर रहें हों, छात्रवृत्ति पाने के हकदार होंगे।

(घ) एक ही माता पिता/अभिभावक के बच्चे छात्रवृत्ति पाने के हकदार होंगे।

(ड़) कोई अन्य छात्रवृत्ति नहीं दी जाती हो।

(च) अंशकालिक पाठ्यक्रमों के लिए देय नहीं।

2 – **राशि** – राज्य सरकार के नियमानुसार देय ।

3 – **आय जांच** – राज्य सरकार के नियमानुसार

4 – **फीस** – छात्र द्वारा संस्था/विश्वविद्यालय को दी जाने वाली फीस का भुगतान किया जायेगा। किन्तु इसमें कॉशन मनी सम्मिलित नहीं होगी।

5 – **नवीनीकरण** – अगली कक्षा में प्रवेश लेने पर पाठ्यक्रम की समाप्ति तक दी जायेगी। इसके लिए छात्रों को अच्छा आचरण व उपस्थिति में नियमितता आवश्यक है।

6 – **भुगतान –** छात्र का चयन आय की जाँच के आधार पर किया जायेगा। इसके बाद प्राचार्य द्वारा स्वीकृति आदेश जारी किया जायेगा। छात्रवृत्ति का भुगतान अप्रैल या नामांकन के माह से (20 तारीख बाद करने पर अगले माह से) जो भी बाद में हो परीक्षा पूरी होने तक प्रतिमाह किया जायेगा।

7 – विधार्थी अपनी उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति बिल पारित होने के 3 माह के अन्दर प्राप्त कर लें। इस अवधि के पश्चात उनकी छात्रवृत्ति राजकोष में जमा करा दी जायेगी। उसकी जिम्मेदारी स्वयं छात्र की होगी।

नोट – विद्यार्थी का आचरण असंतोषप्रद होने पर या मिथ्या घोषणा अथवा गलत भुगतान किये जाने पर प्राचार्य द्वारा छात्रवृत्ति निरस्त की जा सकती है।

8 – **आवेदन–** छात्रवृत्ति के लिए आवेदन निर्धारित प्रपत्र में होगा जिसमें निम्न संलग्नक आवश्यक हैं–

(क) पासपोर्ट साईज फोटो।

(ख) उत्तीर्ण परीक्षाओं की अंक तालिका/प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रति।

(ग) जाति प्रमाण पत्र (तहसीलदार स्तर से नीचे का न हो)

1 – आय प्रमाण पत्र गृह तहसील के तहसीलदार/उच्च राजस्व अधिकारियों द्वारा जारी किया गया हो।

2 – नियोजित माता–पिता/अभिभावक को अपने नियोजकों से आय प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

3 – ऑनलाईन बैंक खातों की पास–बुक की छाया– प्रति (जिन बैंकों की शाखाऐं सवाई माधोपुर मुख्यालय पर खुली हुई हैं।)

(ब) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विकलांग छात्रों के लिए अतिरिक्त प्रावधान

(क) दृष्टिहीन छात्रों के लिए पाठक भत्ता

पाठ्यक्रम का स्तर	पाठक भत्ता (रूपये मासिक)
समूह क,ख,ग	150
समूह घ	125
समूह ड	100

(ख) विकलांग छात्रों के लिए प्रतिमाह 100 रूपये परिवहन भत्ते का प्रावधान है, यदि छात्र संस्था के परिसर में स्थित होस्टल में नहीं रहता हो।

(ग) विकलांग छात्रों के लिए छात्रवृत्तियाँः अंधे, बहरे अथवा शारीरिक विकालांग (ऑर्थोपिडिकली हेन्डीकेप्ट) छात्रों को विकलांग छात्रवृत्ति समाज कल्याण विभाग द्वारा स्वीकृत की जाती है।

छात्रों के लिए छात्रवृत्ति मार्गदर्शिका

छात्र नूतन (प्रवेश) अथवा नवीनीकरण (रिन्यूवल) छात्रवृत्तियों के लिए निर्धारित प्रपत्र में आवेदन शिक्षण संस्था में प्रवेश पाते ही शिक्षण संस्था के प्राचार्य को प्रस्तुत करेंगे। छात्रवृत्ति आवेदन पत्र ऑनलाईन प्रक्रिया द्वारा भरे जायेंगे। छात्र आवेदन पत्र की हार्डकॉपी के साथ आवश्यक प्रमाण पत्र महाविद्यालय छात्रवृत्ति शाखा में जमा कराएंगे। आवेदन पत्र सब प्रकार से पूर्ण होना चाहिए तथा स्पष्ट एवं शुद्ध लेख में होना चाहिए जिसमें निम्न बातें मुख्य हैं :–

उक्त जाति के जिन छात्रों ने सीनियर सैकण्डरी परीक्षा पास की है अथवा जिन्होंने एक स्तर का कोर्स पूरा किया है – जैसे इन्टरमीडियेट आदि। आगे अध्ययन हेतु बी.ए./बी. एससी/बी.कॉ.म में प्रवेश लेते हैं, उन्हें नूतन के आवेदन पत्र भरने होंगे तथा जिन छात्रों ने इस महाविद्यालय से या अन्य किसी महाविद्यालय से वर्ष 2019–20 प्रथम वर्ष में छात्रवृत्ति प्राप्त की है उन्हें नवीनीकरण के फार्म भरने होंगे।

राजस्थान सरकार
समाज कल्याण विभाग

क्रमांकःएफ 9 (4)(6)छात्र/सकवि/2002–2003/29612–186 दिनांक :

1. निदेशालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर।
2. उपनिदेशक/सहायक निदेशक/जि.प.एवं स.क.अधि––––––––––––––––––––––––––––––
3. प्राचार्य राजकीय.––––––––––––––––––––––––––––कॉलेज––––––––––––––––––
4. प्राचार्य संस्कृत कॉलेज––
5. प्रधानाचार्य, मेडिकल कॉलेज ––
6. प्रधानाचार्य, राजकीय पॉलोटेकनिक कॉलेज ––––––––––––––––––––––––––––––––
7. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी/मु.चि.एवं स्वा.अधि./अधीक्षक––––––––––––––––––––––––––

विषय :– अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियो कें छात्र/छात्राओं को देय मेट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति नियमों के सम्बन्ध में।

महोदय,उपरोक्त विषय में लेख है कि भारत सरकार द्वारा जारी मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति नियमों के नियम 3 (12) में स्पष्ट है कि –

'इस योजना के अधीन छात्रवृत्ति पाने वाला कोई भी छात्र कोई अन्य छात्रवृत्ति नहीं लेगा। यदि कोई अन्य छात्रवृत्ति/वजीफा प्रदान की गई है तो छात्र दोनों/छात्रवृत्ति/वजीफा में से किसी को जो भी उसके लिए अधिक लाभप्रद हो अपना विकल्प दे सकता है और लिए गए विकल्प के बारे में संस्था के प्रधान के माध्यम से प्रधानकर्ता प्राधिकारी को सूचना देनी चाहिए। छात्र/छात्रा को उस तारीख से दूसरी छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं किया जायेगा।'

इस सम्बन्ध में अनेक छात्रवृत्ति स्वीकृतकर्ता अधिकारियों द्वारा समय समय पर माडा योजना के अन्तर्गत छात्रवृत्ति पाने वाले अनुसूचित जनजाति के छात्रों को उपरोक्त छात्रवृत्ति भी दिये जाने के सम्बन्ध में मार्गदर्शन चाहा जाता रहा है।

भारत सरकार ने इस हेतु मार्गदर्शन चाहे जाने पर भारत सरकार द्वारा पुनः स्पष्ट किया गया है कि इन नियमों के नियम 3 (12) में जो स्पष्ट प्रावधान है उसके अनुसार की कार्यवाही की जावे एवं किसी भी स्थिति में दोहरा भुगतान नहीं किया जा सकता है।

अतः कृपया सुनिश्चित करावें कि इन नियमो ंकी कठोरता से पालना की जावे एवं किसी भी छात्र को दोहरा भुगतान नहीं किया जावे।

भवदीय
निदेशक
समाज कल्याण विभाग
राजस्थान जयपुर

2 . रेल तथा बस कन्सेशन

रेल तथा बस कन्सेशन विद्यार्थियों को निम्नलिखित स्थितियों में ही देय होगा :–

1. दीपावली, दशहरा, शीतकालीन एवं ग्रीष्मकालीन अवकाश में घर (प्रवेश आवेदन पत्र में अंकित स्थाई निवास) जाने तथा वहाँ से वापस शिक्षण संस्थान तक लौटने हेतु।
2. शिक्षण संस्थान द्वारा आयोजित शैक्षणिक भ्रमण हेतु।
3. टूर्नामेन्ट, कैम्प, शैक्षणिक तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों अथवा प्रतियोगिताओं में अधिकृत रूप से भाग लेने हेतु।
4. जो विद्यार्थी बस द्वारा प्रतिदिन शिक्षण संस्थान से अपने निवास की यात्रा करते हैं एवं जिनका मूल निवास कॉलेज से 50 किमी की परिधि में है ऐसे छात्रों की सूची निगम मुख्यालय जयपुर को भेजी जायेगी तथा उसकी प्रति सवाई माधोपुर बस स्टैण्ड प्रभारी को भेजे जाने के उपरान्त ही यह सुविधा मिल सकेगी।

3 – विद्यार्थियों का दुर्घटना बीमा

विद्यार्थियों को दुर्घटना बीमा सुरक्षा प्रदान करने की राज्य सरकार की दो योजनाऐं राज्य बीमा प्रावधायी निधि विभाग द्वारा संचालित की जा रही हैं। योजना के अन्तर्गत मृत्यु होने पर 200000/–रूपये तक का दुर्घटना बीमा प्रदान किया जाता है। दावा प्रपत्र 6 माह में भरकर भेजना होगा।

4 – पुस्तकालय

महाविद्यालय में एक पुस्तकालय है जिसमें छात्रोपयोगी पुस्तकें हैं। पुस्तकालय ओपन शेल्फ पद्धत्ति के अनुसार संचालित है। विद्यार्थियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे पुस्तकालय का पूरा लाभ उठायें, पुस्तकालय के साथ ही वाचनालय की भी व्यवस्था है जिसमें दैनिक, साप्ताहिक व त्रैमासिक पत्र पत्रिकाऐं आती हैं।

सामान्य नियम

1. पुस्तकालय के कार्य दिवस सामान्यतः महाविद्यालय के समयानुसार ही रहते हैं।
2. पुस्तकालय में वार्तालाप एवं धूम्रपान वर्जित है। कृपया शांत रहकर अध्ययन करें।
3. पुस्तकों व पत्रिकाओं को असावधानी पूर्वक प्रयोग करना पृष्ठ फाड़ना जिल्द फाड़ना पत्रिकाओं, पुस्तिकाओं पर स्याही से निशान लगाना स्वयं का नाम पुस्तकों पर लिख देना न केवल वर्जित है वरन् दण्डनीय भी है।
4. थैला, छाता, स्वयं की पुस्तकें आदि पुस्तकालय के बाहर अपने उत्तरदायित्व पर संभालकर रखें।
5. पुस्तकालय कार्ड प्राप्त करने हेतु परिचय पत्र आवश्यक है।
6. परिचय पत्र सदैव साथ लायें, मांगे जाने पर दिखाना अनिवार्य है।
7. पुस्तकालय स्टाफ द्वारा संदेह होने पर कभी भी तलाशी ली जा सकती है।

पुस्तकें निर्गमित करने हेतु आवश्यक नियम

1. महाविद्यालय के सभी छात्रों को पुस्तकालय से परिचय पत्र दिखाने पर पुस्तकें निर्गमित कराने हेतु पत्रक दिए जाते हैं।
2. पत्रक एक सत्र हेतु ही मान्य होते हैं।
3. पत्रक छात्रों के पास स्वयं के ही रहने चाहिए। पत्रक आपस में अदला–बदली नहीं करें।
4. पुस्तकें सामान्यतः 14 दिवस हेतु निर्गमित की जाती हैं। इस निर्धारित अवधि के बाद 50 पैसे प्रतिदिन प्रति पुस्तक विलम्ब शुल्क किया जायेगा।
5. पत्रिकाऐं, संन्दर्भ ग्रंथ, कोष एवं शोध पुस्तकें निर्गमित नहीं की जाती हैं।
6. विद्यार्थी पुस्तकें निर्गमित कराने से पूर्व पुस्तक को भली भांति देख लें कि कहीं पुस्तक से पृष्ठ तो गायब नहीं हैं या फटी अवस्था में तो नहीं हैं।
7. विद्यार्थी अपने पत्रकों पर निर्गमित हुई पुस्तकों के लिए पूर्णतया जिम्मेदार होंगे चाहे पुस्तकें उन्होंने स्वयं निर्गमित कराई हों या नहीं।

8. महाविद्यालय छोड़ने से पूर्व या अदेय प्रमाण पत्र लेने के पूर्व पुस्तकें जमा कराना अनिवार्य है।
9. पत्रकों के खोने पर अविलम्ब पुस्तकालय अध्यक्ष को लिखित सूचना देवें। पत्रकों पर लिखित सूचना देने के बावजूद भी कोई पुस्तक निर्गमित हो जाती है तो भी स्वयं पत्रक धारक ही उत्तरदायी होगा।
10. पत्रक खो जाने पर 5 रूपये प्रति पत्रक दण्ड देय होगा।
11. परीक्षा हेतु पाठ्यपुस्तकें दुगुनी अमानत राशि पर देय होंगी।

5 – बुक बैंक

1. केवल अनुसूचित जाति की छात्राओं को ही बुक बैंक की सुविधा उपलब्ध है।
2. बुक बैंक की पुस्तकें केवल कृषि संकाय में अजा व जजा के विद्यार्थियों को सत्र भर के लिए अध्ययन हेतु दी जाती हैं।
3. परीक्षा पूर्व यह पुस्तकें लौटाकर नोड्यूज प्राप्त करना आवश्यक है। विशेष परिस्थिति में पुस्तक की कीमत से दुगुनी कीमत अमानत राशि के रूप में जमा करवाकर परीक्षा समाप्ति तक रखी जा सकती है। इस हेतु छात्र को निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करना होगा।

6 – विद्यार्थी परामर्श केन्द्र/युवा विकास केन्द्र

यह केन्द्र छात्रों को शैक्षणिक उन्नयन से सम्बन्धित समस्याओं के निदान हेतु परामर्श तथा विभिन्न विश्वविद्यालयों/व्यावसायिक संस्थाओं में उपलब्ध उच्च स्तरीय पाठ्यक्रमों में प्रवेश व छात्रवृत्ति/फैलोशिप की सुविधा, कैरियर गाईडेन्स एवं छात्रों के रिप्लेसमेन्ट सम्बन्धी परामर्श व सुविधा के लिए आवेदन करने आदि की जानकारी उपलब्ध करायेगा। इस केन्द्र के प्रभारी प्राध्यापक होंगे। महाविद्यालय में विगत सत्रों से युवा विकास केन्द्र संचालित किया जा रहा है। इसमें प्रतिवर्ष प्रत्येक संकाय के अन्तिम वर्ष में छात्रों को 20 घण्टे का रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण दिया जाता है। इसमें अन्तिम वर्ष के सभी नियमित छात्र उपस्थित होकर प्रशिक्षण का लाभ उठावें एवं सूचना–पट्ट पर नियमित सूचना देखते रहें।

7 – अध्ययन केन्द्र – वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा

इस महाविद्यालय में वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा का अध्ययन केन्द्र चल रहा है। स्वयंपाठी छात्रों के लिए वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा के विभिन्न पाठ्यक्रमों की परामर्श कक्षाऐं इस महाविद्यालय अध्ययन केन्द्र पर आयोजित की जाती हैं। विश्वविद्यालय बी.ए., एम.ए. के अतिरिक्त अनेक सर्टिफिकेट, डिप्लोमा एवं उपाधि पाठ्यक्रमों का संचालन करता है।

8 – छात्रावास

महाविद्यालय में छात्राओं के लिए छात्रावास सुविधा है। जो छात्राऐं छात्रावास में रहना चाहती हैं वे आवेदन कर छात्रावास में प्रवेश ले सकती हैं।

9 – महिला प्रकोष्ठ

महाविद्यालय में कार्यरत शैक्षणिक – अशैक्षणिक समस्त महिला कर्मचारियों एवं छात्राओं की समस्या समाधान हेतु एक महिला प्रकोष्ठ स्थापित किया हुआ है। यह प्रकोष्ठ महिलाओं एवं छात्राओं से सम्बन्धित सुविधाओं एवं समस्याओं के निवारण हेतु सतत प्रयत्नशील रहता है।

10 – मानव अधिकार क्लब

मानवाधिकारों के संरक्षण हेतु महाविद्यालय में मानव अधिकार क्लब संचालित है जो महाविद्यालय से सम्बन्धित छात्र छात्राओं के मानवाधिकारों का संरक्षण करता है। महाविद्यालय के वरिष्ठ संकाय सदस्यों सहित राष्ट्रीय सेवा योजनाओं के प्रभारी अधिकारी, एन.सी.सी. अधिकारी, रोवर रेन्जर, स्काउट अधिकारी एवं शारीरिक शिक्षा अधिकारी मानव अधिकारों से सम्बन्धित समस्त गतिविधियों का संचालन करते हैं।

11 – एन्टी रैगिंग समिति

महाविद्यालय में रैगिंग पूर्णतया प्रतिबन्धित है। छात्र छात्राऐं ऐसी किसी प्रकार की गतिविधि से दूर रहें। महाविद्यालय में रैगिंग रोकथाम हेतु एन्टी रैगिंग समिति कार्यरत है। प्रतिदिन क्रमवार 10:00 बजे से 5:00 बजे तक महाविद्यालय परिसर में भ्रमण करना, विद्यार्थियों की गतिविधियों पर नजर रखना, परिचय पत्र के आधार पर उनकी पहचान करना असामाजिक तत्वों एवं सन्देहास्पद बाहरी व्यक्तियों को महाविद्यालय में प्रवेश करने से रोकना, समय–समय पर बैठक आयोजित कर अपने कार्य की प्रगति से प्राचार्य को अवगत करवाना इस समिति के प्रमुख कार्य हैं। **इस समिति के संयोजक प्रो. रामलाल मीना हैं इनका मोबाइल नम्बर 9462320520 है।**

12 – महिला उत्पीड़न रोकथाम समिति

कामकाजी महिला अधिकारी कर्मचारी एवं अध्ययनरत छात्राऐं बिना किसी भेदभाव एवं डर के अपना कार्य निर्वहन कर सकें एवं शिक्षा परिसर में महिलाओं को अच्छा वातावरण मिल सके इस उद्देश्य से महाविद्यालय में महिला उत्पीड़न रोकथाम समिति सतत् कार्यशील रहती है। महिला उत्पीड़न का निवारण, शिकायतों का त्वरित निस्तारण, नियमित बैठकों का आयोजन एवं कार्य प्रगति से प्राचार्य को अवगत करवाना इस समिति के कार्य हैं। इस समिति के संयोजक एवं सदस्य गण अंधिकांशतः महिलाऐं ही होती हैं। **इसकी संयोजक डॉ0 पांचाली शर्मा हैं। इनका दूरभाष नम्बर 9783238000 है।**

13 – शिकायत निवारण प्रकोष्ठ

निदेशालय कॉलेज शिक्षा, जयपुर के आदेशानुसार महाविद्यालय में 6 सदस्यीय शिकायत निवारण प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। यह प्रकोष्ठ महाविद्यालय में विद्यार्थियों की हकदारी एवं शिकायतों के निवारण का कार्य यूजीसी के दिशा–निर्देशानुसार करेगा। **इस प्रकोष्ठ के नोडल अधिकारी प्रो. ओ0पी0शर्मा गणित हैं इनका मोबाइल नम्बर 9636939333 है।**

14 – समान अवसर प्रकोष्ठ

निदेशालय कॉलेज शिक्षा जयपुर के आदेशानुसार महाविद्यालय में 5 सदस्यीय समान अवसर प्रकोष्ठ का गठन किया गया है जो असमानता को रोकने तथा समाज के सभी वर्गों से आ रहे विद्यार्थियों में समानता की भावना विकसित करने की दृष्टि से कार्य करेगा। **इस प्रकोष्ठ के संयोजक डॉ. गोपाल सिंह हैं इनका मोबाइल नम्बर 9414270404 है।**

15 – हैल्प डेस्क

महाविद्यालय में वर्तमान सत्र से ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया लागू की गई है। इस सम्बन्ध में नवागंतुक विद्यार्थियों एवं अभिभावकों को ऑनलाईन प्रवेश की जानकारी और सहयोग प्रदान करने हेतु महाविद्यालय में एक हैल्प डेस्क की स्थापना की गई है। **पांच सदस्यीय इस हेल्प डेस्क के प्रभारी डॉ. लखपत मीना हैं। इनका मोबाइल नम्बर 9461456808 है।**

16 – कैट कोर्स

इस सत्र से महाविद्यालय में इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउन्टेन्ट्स ऑफ इण्डिया के माध्यम से एक कैट कोर्स–सर्टिफिकेट इन अकाउन्टिंग टेक्नीशियन प्रारम्भ किया जा रहा है। कोई भी छात्र जो कक्षा 12 की परीक्षा किसी भी वर्ग कला, वाणिज्य एवं विज्ञान संकाय से पास कर चुका है, इस कोर्स के लिए योग्य है। यह कोर्स वह अपने स्नातक कोर्स बी.ए., बी.एस.सी, बी.कॉम, बी.एस.सी. के साथ साथ नियमित अथवा स्वयंपाठी अध्ययन करते हुए भी कर सकता है। इसकी अवधि एक वर्ष है। यह पूर्णतया रोजगारोन्मुखी कोर्स है। इस सर्टिफिकेट कोर्स में प्रवेश 21 जून से प्रारम्भ होगा एवं प्रवेश की अन्तिम तिथि 31 जुलाई है। **इस कोर्स के समन्वयक डॉ. अमनरनाथ अग्रवाल हैं। इनका मोबाइल नम्बर 7597789863 है।**

17 – शोध सुविधा

महाविद्यालय में कला संकाय में राजनीति विज्ञान एवं हिन्दी साहित्य तथा वाणिज्य संकाय में ई.ए.एफ.एम में शोध सुविधा उपलब्ध है। **राजनीति विज्ञान में डॉ. मधुमुकुल चतुर्वेदी, हिन्दी साहित्य में डॉ पूरणमल मीना एवं ई.ए.एफ.एम में डॉ. ओ.पी.शर्मा कोटा विश्वविद्यालय, कोटा द्वारा अधिकृत शोध निदेशक हैं।**

महाविद्यालय परिवार

शिक्षा पथ के पाथेय

प्राचार्य : डॉ0 ओ.पी. शर्मा

उपाचार्य : रिक्त

हिन्दी विभाग

1. डॉ. पूरणमल मीना
2. डॉ. सूर्य प्रकाश नापित
3. डॉ. कमल बाई मीना

4ण रिक्त

भूगोल विभाग

1. श्री प्रेम सोनवाल
2. रिक्त
3. रिक्त

राजनीति विज्ञान विभाग

1. डॉ. गोपाल सिंह
2. डॉ. मधुमुकुल चतुर्वेदी
3. डॉ. दुलारी राम मीना
4. डॉ. गुंजिका दुबे
5. डॉ. हनुमान प्रसाद मीणा
6. डॉ. ज्योति अरूण
7. डॉ. दीपक शर्मा
8. रिक्त

संस्कृत विभाग

1. डॉ. कैलाश चन्द शर्मा
2. रिक्त

अर्थशास्त्र विभाग

1ण श्रीमती प्रियंका सैनी

इतिहास विभाग

1 श्री राजेन्द्र प्रसाद राजौरा

2 डॉ. सुनीता मीणा

3 श्रीमती उर्मिला मीणा

4 डॉ0 सोमेश कुमार सिंह

5 रिक्त

6 रिक्त

7 रिक्त

समाज शास्त्र विभाग

1 डॉ. ओमप्रकाश शर्मा

2 डॉ हरिचरण मीणा

अंग्रेजी विभाग

1 डॉ. पांचाली शर्मा

उर्दू विभाग

1 श्री मोहम्मद शाहिद जैदी

2 रिक्त

3 रिक्त

भौतिक शास्त्र विभाग

1 डॉ. जयकुमार सिंहल

2 रिक्त

रसायन शास्त्र विभाग

1. डॉ. दिनेश चन्द्र शर्मा
2. डॉ. रमेशचन्द मीणा
3. श्री विनायक लोदवाल
4. श्री गंगासहाय मीना
5. श्री. राकेश मीणा
6. डॉ. रोमिला कर्नावट
7. श्री राजेश गुप्ता

8ण श्री मुनेश लाल मीना

गणित विभाग

1ण डॉ. ओ.पी.शर्मा

2. डॉ. विमलेश सोनी
3. श्री मीठालाल मीना

वनस्पति शास्त्र विभाग

1. डॉ. उषा पिल्लई
2. डॉ.लखपत मीणा
3. डॉ. ज्योत्सना शर्मा
4. श्री प्रशान्त राव
5. श्री शकील अहमद

प्राणि शास्त्र विभाग

ण1 श्री रामलाल बैरवा

2 डॉ. मदनमोहन महावर

3 डॉ. समीर शर्मा

4 डॉ. धनकेश मीणा

5 रिक्त

6 रिक्त

लेखा एवं सांख्यिकी

1. डॉ अमरनाथ अग्रवाल
2. रिक्त

व्यावसायिक प्रशासन विभाग

1 श्री रामलाल मीना

आर्थिक प्रशासन एवं वित्तीय प्रबन्ध विभाग

1 डॉ. ओ.पी.शर्मा सह आचार्य एवं प्राचार्य

2 रिक्त

कृषि संकाय

कीट विज्ञान

1 रिक्त

पौध व्याधिकी

1 रिक्त

शस्य विज्ञान

1 रिक्त

पशुपालन एवं दुग्ध विज्ञान

1 डॉ. वी.के. शर्मा

2 डॉ0 इन्द्रहरित शर्मा

कृषि अर्थशास्त्र

1 डॉ. पी.के.जोशी

उद्यान विभाग

1 डॉ. राजेन्द्र सिंह गोड़

पादप प्रजनन

1 डॉ. आर.एन. चौधरी

मृदा विज्ञान

1 डॉ. धीरेन्द्र सिंह

कृषि प्रसार शिक्षा

1 डॉ. दिलीप कुमार त्रिवेदी

कृषि वनस्पति

1 डॉ. विजय सिंह जाट

कृषि अभियांत्रकी

1 रिक्त्

शारीरिक शिक्षा विभाग

1 रिक्त

पुस्तकालय विभाग

1 श्रीजयसिंह मीणा (पुस्तकालयाध्यक्ष)

राष्ट्रीय सेवा योजना

1 श्री शकील अहमद प् न्दपज

2 श्री मीठालाल मीना पप न्दपज

3 श्री प्रेम सोनवाल पपप न्दपज

4 श्री मो. शाहिद जैदी प्ट न्दपज

एन.सी.सी. अधिकारी

1 लेफ्टीनेन्ट डॉ.ओ.पी. ार्मा

रोवर लीडर

1 डॉ. दिलीप त्रिवेदी

रेंजर लीडर

1 श्रीमति उर्मिला मीना

मंत्रालयिक कर्मचारीगण

अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी

1 श्री राजसिंह कुशवाह

सहायक लेखाधिकारी

1 श्री प्रभाकर शर्मा

कार्यालय सहायक

1 रिक्त

वरिष्ठ लिपिक

1 श्रीमती बुशरा जैदी

2 श्री शहजाद मोहम्मद

3 रिक्त

कनिष्ठ सहायक

1 श्री सुनील कुमार गुर्जर

2 श्री राजकुमार बैरवा

3 रिक्त

4 रिक्त

5 रिक्त

प्रयोगशाला सहायक

1 श्री श्रीनिवास मीणा

2 श्री नरेन्द्र सिंह आमेरा

3 श्री अमर लाल बैरवा

4 रिक्त

5 रिक्त

6 रिक्त

7 रिक्त

8

वाहन चालक

1 रिक्त

गैसमेन

1 रिक्त

जमादार

1 रिक्त

प्रयोगशाला वाहक

1 श्री बाबूलाल माली

2 रिक्त

3 रिक्त

4 रिक्त

5 रिक्त

6

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी

1 श्री प्रहलाद मीणा

2 श्रीमती गन्दोड़ी मीणा

3 श्री बुद्धीप्रकाश हरिजन

4 रिक्त

5 रिक्त

6 रिक्त

7 रिक्त

8 रिक्त

बुक लिफ्टर

1 रिक्त

महत्वपूर्ण निर्देश

राज्य सरकार एवं कोटा विश्वविद्यालय, कोटा से स्वीकृत नवीन नियमों के प्रकाशन पर इस विवरणिका के नियम स्वतः ही निरस्त माने जायेंगे। नवीन नियम महाविद्यालय के सूचना–पट्ट पर यथा समय लगा दिए जायेंगे। अतः समय–समय पर महाविद्यालय का सूचना पट्ट देखते रहें। राज्य सरकार के नियमानुसार विद्यार्थियों के लिए 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है।

राष्ट्रगान

जन–गण–मन–अधिनायक जय हे, भारत–भाग्य–विधाता।
पंजाब सिन्धु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग,
विन्ध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि–तरंग,
तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशिष मांगे,
गाहे तव जय गाथा।
जन–गण–मंगलदायक जय हे, भारत–भाग्य–विधाता।
जय हे, जय हे, जय हे,
जय जय जय जय हे।

REDMI NOTE 8
AI QUAD CAMERA

शिक्षित बनो,
संगठित रहो,
संघर्ष करो.